

# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या  
12/50/22

रजि०नम्बर  
2022/127

प्रवेश तिथि  
01.11.2022

निर्णय दिनांक  
15.01.2025

01- शोभाराम पुत्र कन्हैया लाल जाति प्रजापत निवासी ग्राम ढाढोली तहसील रामगढ़ जिला अलवर राज०।

- अपीलाण्ट

## बनाम

- 01- श्री चन्द्र किशोर मीना पुत्र श्री रामजीलाल मीना जाति मीणा निवासी ट्रांसफॉर्मर के पास नयाबास, अलवर हाल निवासी अमरावली महाराष्ट्र राज्य।  
02- चिरंजी लाल पुत्र मुरली जाति मीणा,  
03- प्रियंका पुत्री स्व० श्री मनोहर लाल जाति मीणा,  
04- हेमन्त कुमार पुत्र स्व० श्री मनोहर जाति मीणा,  
05- अनिता रानी पत्नी स्व० श्री मनोहर जाति मीणा निवासीयान अलवर।

- रेस्पौ०

अपील विरुद्ध तहसीलदार रामगढ़ आदेश दिनांक 29.09.2022 प्रार्थना पत्र धारा अन्तर्गत 183 (बी) राज. काश्त. अधिनियम प्रकरण संख्या 08/22

उपस्थित:-

- 01-श्री उदय सिंह  
02-श्री शैलेन्द्र भार्गव



-वकील अपी०  
-वकील रेस्पौ०

अपी० द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगढ़ के निर्णय दिनांक 29.09.2022 प्रकरण संख्या 08/2022 ग्राम रुंध धुनीनाथ तहसील रामगढ़ जिला अलवर के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ० को जरिये कोर्ट नोटिस तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपी० ने लिखित बहस पेश कर निवेदन किया है कि रेस्पौ० द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगढ़ जिला अलवर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183-बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थीगण अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं। प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी खसरा नंबर 41 रकबा 0.18 हैक्टेयर, खसरा नंबर 42 रकबा 0.28 हैक्टेयर, खसरा नंबर 43 रकबा 0.77 हैक्टेयर वाके ग्राम रुंध धुनीनाथ तहसील रामगढ़ जिला अलवर में स्थित है। जिसका राजस्व रिकार्ड प्रार्थीगण के हक में दर्ज है। उक्त आराजी प्रार्थीगण की संयुक्त काश्तकारी की पैतृक आराजी है, जिसे राजस्थान सरकार की नीतियों के अनुसार प्रार्थीगण के बुजुर्गों को राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू-आवंटन) नियम 1970 के तहत आवंटित की गई थी। जिस पर प्रार्थीगण व उनके बुजुर्ग बाद आवंटन शांतिपूर्ण तरीके से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। प्रार्थीगण के हक में आराजी का गैरखातेदारी से खातेदारी का इंतकाल भी दिनांक 17.09.1980 को

आ. अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)  
अलवर (राज०)

दर्ज किया जा चुका है। प्रार्थी केन्द्र सरकार में राजकीय सेवा में कार्यरत होने के कारण प्रार्थी का उक्त आराजी पर आना-जाना कुछ समय से कम हो जाने के कारण परिस्थितियों का लाभ उठाकर कुछ पड़ोसी खातेदार व अन्य व्यक्तियों द्वारा प्रार्थीगण की जमीन पर जबरन अतिक्रमण कर लिया है। अप्रार्थीगण राजनैतिक रूप से जान-पहचान रखते हैं, उनके मन में बेईगानी आ गई है, वे प्रार्थीगण की कब्जा काश्त खातेदारी की आराजी को जबरन हड़पना चाहते हैं। प्रार्थी के प्रार्थनापत्र के अनुसार प्रार्थीगण को आराजी पर गये तो उन्हें इस अतिक्रमण व अवैध निर्माण का ज्ञान हुआ, जिसके आधार पर अतिक्रमियों के खिलाफ कार्यवाही कर बेदखल करने का निवेदन किया। प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर कर अपीलान्टान को तलब किया गया, जिस पर अपीलान्टान हाजिर अदालत हो गये, तदोपरांत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्टान के विरुद्ध इकतरफा कार्यवाही कर दिनांक 29.09.2022 को विधि विरुद्ध तरीके से निर्णय पारित कर दिया गया, जिससे व्यथित होकर अपील हाजा प्रस्तुत की गई है। अधीनस्थ न्यायालय अपीलान्टान को नोटिस भेजे जाने के उपरांत अपीलान्टान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 02.08.2022 को अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित हुये, तथा जवाब एवं वकालतनामा प्रस्तुत करने हेतु समय चाहा। तदोपरांत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में आगामी तारीख पेशी दिनांक 18.08.2022 की नियत की गई, दिनांक 18.08.2022 को तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण होने के कारण आगामी तारीख पेशी दिनांक 30.08.2022 नियत की गई। दिनांक 30.08.2022 को पाण्डुपोल का मेला होने के कारण अवकाश हो जाने के कारण प्रकरण में आगामी तारीख पेशी दिनांक 09.09.2022 की नियत की गई। इसके उपरांत दिनांक 29.09.2022 की तारीख पेशी नियत की गई, तथा दिनांक 29.09.2022 को बिना अपीलान्टान को सुनवाई का अवसर दिये व बिना साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये, एकतरफा में निर्णय पारित कर दिया गया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्टान को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया।

पटवारी हल्का द्वारा जो जांच रिपोर्ट तैयार की गई है, जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य आदेश पारित किया गया है, वह जांच रिपोर्ट कतई गलत प्रकार से बनाई गई है, तथा उसमें सीमाज्ञान गलत प्रकार से दर्शाया गया है। जिस आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य आदेश विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों के विरुद्ध होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपना आलोच्य आदेश पारित करते समय अपीलान्ट को साक्ष्य का अवसर प्रदान नहीं किया गया था। जबकि अपीलान्ट व ईसरा पुत्र अजमत खां आराजी खसरा नंबर 278 रकबा 0.30 हैक्टेयर के काबिज काश्तकार खातेदार हैं, तथा अपीलान्ट व ईसरा द्वारा उक्त आराजी को जरिये इकरारनामा बय दिनांक 26.11.2020 के अजय एवं राजेश को विक्रय किया हुआ है। यह तथ्य इस बात से भली भांति प्रमाणित हैं कि श्रीमान तहसीलदार रामगढ द्वारा एक दावा अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत माननीय उपखण्ड अधिकारी महोदय रामगढ के समक्ष प्रस्तुत किया, उक्त दावा में तहसीलदार रामगढ द्वारा आराजी खसरा नंबर 278 रकबा 0.30 हैक्टेयर जो कि ईसरा खान पुत्र अजमल व शोभाराम पुत्र कन्हैयालाल की खातेदारी की आराजी है, जिसमें ईसरा खां व शोभाराम वर्गौरा द्वारा चारीदवारी कर कच्चा रोड का

आ. रजि. अति० जिला कलक्टर (प्रथम)  
अलवर (राज०)

निर्माण किये जाने का आरोप लगाया गया। जो दावा संख्या 2/76 तारीख रजू दिनांक 10.03.2021 में दिनांक 21.09.2021 को निर्णय पारित किया गया, तथा जिस आदेश में उक्त खसरा नंबर 278 रकबा 0.30 हैक्टेयर का खातेदार, काबिज काश्तकार ईसरा खान व शोभाराम माना गया है। जिससे यह भली भांति साबित है कि अपीलाण्ट व ईसरा खां द्वारा जरिये इकरारनामा विक्रय की गई आराजी पर अजय व राजेश काबिज हैं, तथा रेस्पोजेण्टान की किराी भी आराजी पर अपीलाण्ट काबिज नहीं है। अपीलाण्ट की आराजी ग्राम ढाढोली की सीमा में स्थित है, जबकि रेस्पोजेण्टान की आराजी ग्राम रुंध धूनीनाथ की सीमा में स्थित है, तथा अपीलाण्ट व रेस्पोजेण्ट की आराजी दोनों गांव की सीमा पर लगती हैं, तथा रेस्पोजेण्टान उनके द्वारा बताई गई आराजी पर कभी काबिज नहीं रहे, तथा अपीलाण्ट अपनी स्वयं की आराजी पर काबिज रहे हैं, तथा उक्त आराजी अजय व राजेश को विक्रय करने के उपरांत अजय व राजेश काबिज हैं। किन्तु पटवारी हल्का द्वारा गलत सीमांकन के आधार पर प्रस्तुत रिपोर्ट जिसमें ईसरा को 0.25 हैक्टेयर पर काबिज बताया गया है, किन्तु अपनी रिपोर्ट में ईसरा खान किस खसरा नंबर की 25 ऐयर भूमि पर काबिज है का अंकन नहीं किया है, उक्त गलत सीमांकन रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपना उक्त आलोच्य आदेश पारित किया है। जबकि अपीलाण्ट द्वारा विक्रय की गई आराजी पर अजय व राजेश काबिज हैं, तथा रेस्पोजेण्ट कभी भी उसके द्वारा बताई गई आराजी पर काबिज नहीं रहा, इस कारण उसको आराजी का सीमाज्ञान ही नहीं है। अतः लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य आदेश दिनांक 29.09.2022 खारिज किया जावे।

विद्वान वकील रेस्पोजेण्ट द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण/रेस्पोजेण्ट अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति हैं। प्रार्थी की खातेदारी की आराजी खसरा न० 41 रकबा 0.18 हैक्टेयर, आराजी ख०न० 42 रकबा 0.28 हैक्टेयर, आराजी खसरा न० 43 रकबा 0.77 हैक्टेयर कुल किता 03 रकबा 1.23 हैक्टेयर वाके ग्राम रुंध धूनीनाथ तह० रामगढ में स्थित है। जिसका राजस्व रिकार्ड प्रार्थी के हक में दर्ज है। उक्त आराजी प्रार्थीगण की संयुक्त काश्तकारी की पैतृक आराजी है जिसे राजस्थान सरकार की नितियों के अनुसार प्रार्थीगण के बुजुर्गों को राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम 1970 के प्रावधानों के तहत आवंटित की गई थी जिस पर प्रार्थीगण/रेस्पोजेण्ट उनके बुजुर्ग बाद आवंटन शांतिपूर्ण तरीके से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। प्रार्थीगण/रेस्पोजेण्ट के हक में आराजी का गैर खातेदारी से खातेदारी का इन्तकाल भी दिनांक 17.09.1980 को दर्ज किया जा चुका है तथा सम्पूर्ण राजस्व रिकॉर्ड में वे बतौर खातेदार दर्ज हैं। प्रार्थी केन्द्र सरकार राजकीय सेवा में कार्यरत होने के कारण प्रार्थी का उक्त आराजी पर आना जाना कुछ समय से कम हो जाने के कारण परिस्थितियों का लाभ उठाकर कुछ पडौसी खातेदार व अन्य व्यक्तियों द्वारा प्रार्थीगण/रेस्पोजेण्ट की जमीन पर जबरन अतिक्रमण कर लिया है। अपी० राजनैतिक रूप से जान पहचान रखते हैं तथा उनके मन में बेईमानी आ गई है वे प्रार्थीगण/रेस्पोजेण्ट की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी को जबरन हडपना चाहते हैं। प्रार्थीगण/रेस्पोजेण्ट द्वारा एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार रामगढ को प्रस्तुत कर स्वयं की आराजी खसरा नम्बर 41, 42, 43 वाके ग्राम रुंध धूनीनाथ के

आ.सं. 15/11/25  
जिला कलक्टर (प्रथम)  
अलवर (राज०)


न्यायाः-अति० जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर राज०  
उनवानः- शोभाराम बनाम चन्द्र किशोर वगै०  
प्र.सं. 12/50/22 नि.दि. 15.01.2025

सीमाज्ञान का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर दिनांक 31.05.2022 को नियमानुसार सीमाज्ञान कराया व प्रार्थीगण/रेस्पोंकी आराजी पर निशानात लगाकर व जरीब चलाकर सीमाज्ञान कराया गया। प्रार्थीगण/रेस्पों की उक्त आराजी पर अपी० ने नाजायज कब्जा कर अतिक्रमण कर रखा है। प्रार्थीगण/रेस्पों अनुसूचित जनजाति से आते है। अतः निवेदन किया कि अपील अपीलांट खारिज किये जाने के आदेश सादिर फरमाने की कृपा करें।

पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। विवादित आराजी मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का बगडमेव खसरा नंबर 41, 42, 43 रकबा क्रमशः 0.18 है, 0.28 है०, 0.77 है० कुल रकबा 1.23 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम वाके ग्राम रुंध धुनीनाथ तहसील रामगढ राजस्व रिकॉर्ड में चन्द्र किशोर पुत्र रामजीलाल, चिरंजीलाल पुत्र मुरली, हेमन्त कुमार पुत्र स्व० श्री मनोहर, प्रियंका पुत्री स्व० श्री मनोहर एवं अनिता पत्नी स्व० श्री मनोहर समस्त जातियान मीणा खातेदार दर्ज रिकॉर्ड हैं। पटवारी रिपोर्ट के अनुसार अपी० शोभाराम पुत्र कन्हैया लाल जाति प्रजापत नि० ढाढोली तह० रामगढ का रेस्पोंडेण्ट चन्द्र किशोर पुत्र रामजीलाल, चिरंजीलाल पुत्र मुरली, हेमन्त कुमार पुत्र स्व० श्री मनोहर, प्रियंका पुत्री स्व० श्री मनोहर एवं अनिता पत्नी स्व० श्री मनोहर समस्त जातियान मीणा की उक्त आराजी पर अवैध कब्जा साबित होता है, जो राज० काश्त० अधि० की धारा 183 बी का स्पष्ट रूप से उल्लंघन है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगढ, द्वारा वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर धारा 183 (बी) राज० काश्त० अधि० निर्णय किया, जो उचित है, जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगढ का निर्णय दिनांक 29.09.2022 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 15.01.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(मुकेश कुमार कायथवाल)  
अति० जिला कलक्टर (प्रथम)  
अलवर, (राज०)